

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

बैद्यनाथ यादव,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा— आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-28/8 /2020

विषय:— कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हुये व्यक्तियों के रक्त प्लाज्मा दान करने पर परिवहन व्यय एवं अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रति दानकर्त्ता रू० 5000/- (रुपये पाँच हजार) मात्र की प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति।

आदेश:— स्वीकृत।

कोविड-19 के इलाज एवं रोकथाम हेतु अभी तक उचित दवा एवं वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। चिकित्सा में संलग्न चिकित्सकों का यह अनुभव रहा है कि कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हुये व्यक्तियों का रक्त प्लाज्मा (Blood Plasma), कोविड-19 संक्रमित गंभीर रोगियों के लिये लाभदायक है।

2- इस संदर्भ में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हुये कई व्यक्तियों द्वारा, स्वविवेक से, रक्त प्लाज्मा का दान किया गया है जो कई रोगियों के लिये लाभदायक सिद्ध हुआ है। राज्य में वर्तमान में लगभग 82550 कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 54000 से अधिक व्यक्ति इससे स्वस्थ हो चुके हैं, अतः इनमें से अधिक से अधिक लोगों को अपना रक्त प्लाज्मा दान करने हेतु प्रेरित करने की नितान्त आवश्यकता है।

3- इस हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी प्लाज्मा संग्रहण केन्द्रों/अस्पतालों को, अग्रिम के रूप में, एक माह के संभावित व्यय को आकलित करते हुये, "कोरोना उन्मूलन कोष" से राशि उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे प्रोत्साहन राशि लाभुकों को दी जायेगी। प्रत्येक 15 दिन पर अथवा उपलब्ध कराई गई राशि के पूर्ण व्यय से पूर्व संबंधित केन्द्र/अस्पताल उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे, जिसकी प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा कर दी जायेगी। कार्योपरान्त बचत की राशि स्वास्थ्य विभाग को प्रत्यर्पित की जायेगी।

4- इसके लिये प्रक्रिया एवं अन्य शर्तों का निर्धारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जायेगा।

5- तदनुसार कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हुये व्यक्तियों के रक्त प्लाज्मा दान करने पर परिवहन व्यय एवं अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रति दानकर्त्ता रू० 5000/- (रुपये पाँच हजार) मात्र की प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6- प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक-18.08.2020 की बैठक (मद संख्या-25) में स्वीकृति प्राप्त है।

7- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं०सं०-1/विविध-38/2020 के पृष्ठ-11/टि० पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(बैद्यनाथ यादव) 20/8/20
सरकार के विशेष सचिव

ॐ

क्रमशः

ज्ञापांक:-1/विविध-38/2020- 808(1)

/स्वा०, पटना, दिनांक-28/8/2020

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/गृह विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिलाधिकारी, बिहार/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना/निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव 28/8/2020